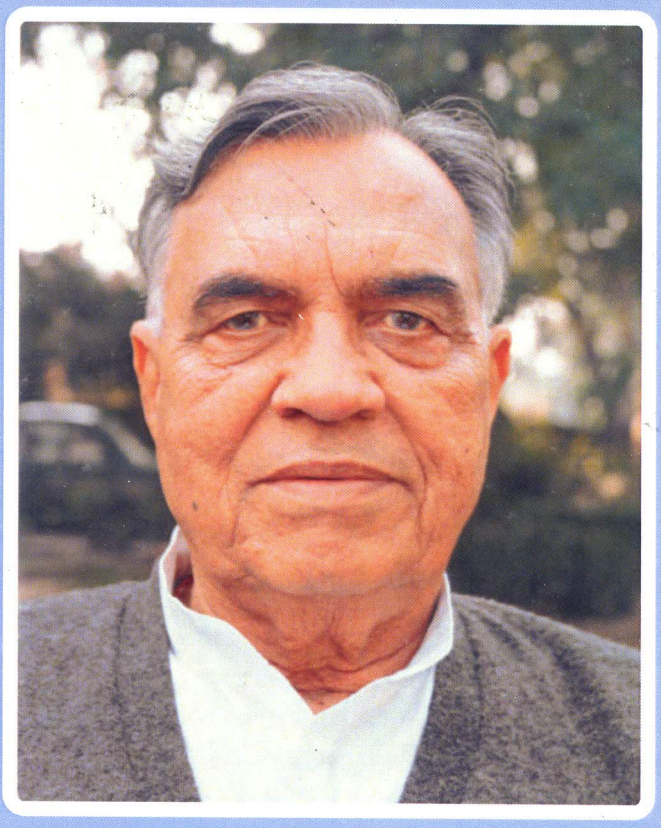

बलराम जाखड़

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2019

बलराम जाखड़

एक उत्कृष्ट सांसद और किसान से राजनेता बने बलराम जाखड़ का जन्म 23 अगस्त, 1923 को पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में पंजकोसी गांव में हुआ था। उनका शैक्षिक जीवन बहुत ही प्रतिभाशाली रहा और उन्होंने वर्ष 1945 में फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर से संस्कृत ऑनर्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह, वस्तुतः बहुभाषाविद् थे और उन्हें अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी, उर्दू और पंजाबी का गहन ज्ञान था। जाखड़ मूलतः एक कृषक और विशेष रूप से फलोद्यानी थे। स्नातक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् उन्होंने अपने कृषि के पारिवारिक व्यवसाय को अपनाया तथा अपनी कृषि-भूमि पर फलों और अंगूर के बागों के विकास के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया। अनेक वर्षों तक कठोर परिश्रम करके वह बंजर पड़ी भूमि को हरे-भरे चरागाहों तथा उन्नत बागानों और अंगूर के बागों में परिवर्तित करने में सफल हुए।

फल उगाने के क्षेत्र में जाखड़ की सेवाओं को राष्ट्रीय मान्यता तब प्राप्त हुई, जब वर्ष 1975 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा "ऑल इंडिया उद्यान पंडित" की उपाधि प्रदान की गई। इसी वर्ष उन्हें वाशिंगटन में कृषि उत्पादकों के अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले कृषक शिष्टमंडल के नेतृत्व के लिए चुना गया। इसी अवधि के दौरान वह पंजाब सहकारी अंगूर उत्पादक महासंघ तथा राज्य के कृषक मंच के अध्यक्ष भी चुने गए। कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार और गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा क्रमशः "डॉक्टर ऑफ साइंस" और "विद्या मार्तण्ड" की मानद उपाधियां प्रदान की गईं। कृषक समुदाय के नेतृत्व की भूमिका निभाने के परिणामस्वरूप श्री बलराम जाखड़ राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित हुए।

जाखड़ का विधायी जीवन तब आरंभ हुआ जब 1972 में वह पंजाब विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। विधान सभा के लिए उनके निर्वाचन के एक वर्ष के भीतर ही उन्हें सहकारिता, सिंचाई और विद्युत उपमंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया गया। वह वर्ष 1977 तक मंत्री रहे। वर्ष 1977 में विधान सभा के लिए पुनः निर्वाचित होने पर उन्हें कांग्रेस (आई) विधानमंडल पार्टी के नेता के रूप में चुन लिया गया और उस

हैसियत से उन्हें पंजाब विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। जनवरी 1980 में फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के लिए चुने जाने तक वह इस पद पर बने रहे। पंजाब के मामलों में एक राजनैतिक कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका के माध्यम से जाखड़ पहले ही अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके थे।

जाखड़ को 22 जनवरी, 1980 को सातवीं लोक सभा का अध्यक्ष चुना गया। यद्यपि जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था, तथापि स्वयं को सौंपी गई नई भूमिका के गुरुतर दायित्व से वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। अपने यथार्थपरक भूमिका-बोध, आत्मविश्वास और अपनी सहज सामान्य सूझ-बूझ के द्वारा जाखड़ सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण योग्यता से करते रहे। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि विविध भाषाओं, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और सामाजिक-राजनैतिक पृष्ठभूमि वाले जन प्रतिनिधियों की सभा के सुचारू और प्रभावी कार्यकरण में अध्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जाखड़ ने सभा का कार्य सदैव अत्यधिक गरिमा, शालीनता और निष्पक्षता से चलाने का प्रयास किया। दृढ़ परन्तु साथ ही साथ सभा की मनःस्थिति के प्रति संवेदनशील रहते हुए उन्होंने सभा के सुचारू और व्यवस्थापूर्ण संचालन में सदस्यों के सहयोग तथा इसके जरिए देश में और देश से बाहर संसद की एक स्वस्थ छवि उभारने पर बल दिया। यद्यपि उन्होंने प्रक्रियाओं, नियमों, परम्पराओं और प्रथाओं को अत्यधिक महत्व दिया, तथापि उन्होंने सभा की राय पर उन्हें हावी नहीं होने दिया। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र में इस सामान्य नियम का समर्थन किया कि सदन अपनी प्रक्रियाओं के संबंध में स्वयं ही सर्वोच्च है।

जाखड़ ने सातवीं लोक सभा में सभा की कार्यवाही का जिस तरीके से संचालन किया, उसकी सर्वत्र सराहना की गई और वह सभा के सभी वर्गों के प्रिय बन गए। इसलिए, दिसम्बर, 1984 के आम चुनाव में राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए पुनः निर्वाचित होने पर वह नई सभा की भी अध्यक्षता करने के लिए स्वाभाविक पसंद बने। 16 जनवरी, 1985 को उन्हें एक बार फिर सर्वसम्मति से आठवीं लोक सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दिसम्बर, 1989 में आठवीं लोक सभा का कार्यकाल पूरा होने पर जब जाखड़ ने अध्यक्ष पद का त्याग किया तो उन्हें स्वतंत्र भारत में पूर्ण अवधि के लिए लगातार दो बार लोक सभा का अध्यक्ष होने का अद्वितीय गौरव प्राप्त हुआ। यह अवधि

(अर्थात् 22 जनवरी, 1980 से 18 दिसम्बर, 1989 तक) एक दशक से मात्र एक माह कम थी।

जाखड़ का सातवीं और आठवीं लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में दस वर्ष का लम्बा कार्यकाल अनेक रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह सदैव व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के तथा सामूहिक रूप से सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के प्रति सचेत रहे। उन्होंने एक बार यह व्यवस्था दी कि संसदीय समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी को सभा के विशेषाधिकारों का संरक्षण प्राप्त होगा। यद्यपि उन्होंने लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को सम्मान दिया, तथापि उन्होंने यह व्यवस्था भी दी कि सरकार के प्रत्येक अंग को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, एक दूसरे के अधिकारों और विशेषाधिकारों का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए। तद्नुसार, नवम्बर, 1987 में जाखड़ ने व्यवस्था दी कि संसद के कार्यकरण के संबंध में अध्यक्षों से हुई कथित भूल-चूक के बारे में न्यायालय उन्हें स्वयं के बचाव हेतु अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

अध्यक्ष जाखड़ सभा के विशेषाधिकारों संबंधी सभी मामलों का दृढ़ निश्चय के साथ समर्थन करते थे। संवैधानिक पदों की गरिमा की रक्षा के लिए भी वह समान रूप से कृतसंकल्प रहे और उन्होंने ऐसे पदों के संबंध में संसद में चर्चा किए जाने के हर प्रयास का विरोध किया।

अध्यक्ष के रूप में जाखड़ के कार्यकाल में लोक सभा में अनेक नवीन प्रक्रियाएं अपनाई गईं और पहल की गईं। सन् 1952 के बाद पहली बार, अध्यक्ष जाखड़ की पहल पर सन् 1989 में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की विस्तृत समीक्षा की गयी और मई, 1989 में उनमें अनेक परिवर्तन किये गये। उनके कार्यकाल के दौरान ही सन् 1985 में संसद द्वारा दल-परिवर्तन विरोधी कानून पारित किया गया जिसके अन्तर्गत सदस्यों को दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्ह करने का उपबंध किया गया था। लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्ह किया जाना) नियम, 1985 को 18 मार्च, 1986 से लागू किया गया।

भारतीय संसद में समिति प्रणाली को नया रूप देने में जाखड़ की पहल वस्तुतः उल्लेखनीय है। दसवीं लोक सभा के दौरान आरंभ की गई विभागों से संबद्ध स्थायी समिति की पूर्ण प्रणाली सातवीं और आठवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान वर्षों के विचार-विमर्श के पश्चात् अगस्त-सितम्बर, 1989 में जाखड़ द्वारा मूलतः आरंभ की गई विषय आधारित समिति प्रणाली का ही विस्तार है। इसी प्रकार, संसद सदस्यों के लिए सेवाओं के

कम्प्यूटरीकरण तथा स्वचालन प्रणाली भी जाखड़ के अध्यक्ष रहते हुए ही आरम्भ हुई थी। उन्होंने सदस्यों के लाभार्थ संसदीय ग्रंथालय और इसकी शोध, सन्दर्भ प्रलेखन और सूचना सेवाओं के विस्तार में भी निरंतर गहन रुचि ली।

लोक सभा में श्री जाखड़, अध्यक्ष के रूप में नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सभापति रहे। उन्होंने समय-समय पर नई दिल्ली में संसद और राज्य विधानमंडलों की एक समान विभिन्न समितियों के सभापतियों के सम्मेलन आयोजित करने में रुचि ली। इससे एक दूसरे के अनुभव बांटने में सुविधा हुई और जिसके फलस्वरूप देश भर में इन समितियों का अधिक प्रभावी और सार्थक कार्यकरण सुनिश्चित हुआ।

जाखड़ ने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार तथा राष्ट्रीय उपलब्धि कक्ष की स्थापना के लिए पहल करके इतिहास के प्रति अपनी रुचि दर्शाई। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं की महान कुर्बानियों और योगदान को स्मरण करने में उनके द्वारा दिखाई गई रुचि से उनकी ऐतिहासिक समझबूझ का परिचय मिलता है।

जाखड़ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान भारत की संसद और अन्य देशों की संसदों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय संघों के बीच अन्तर-संसदीय सम्पर्क और सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया। इन उद्देश्यों के दृष्टिगत जाखड़ ने विभिन्न स्तरों पर सांसदों के कई सम्मेलन आयोजित कराये। उनकी पहल पर ही नई दिल्ली में वर्ष 1981 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का क्षेत्रीय सेमिनार और वर्ष 1986 में राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ और अन्तर-संसदीय संघ के सम्मेलनों में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया तथा वह राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) और अन्तर-संसदीय संघ (आई.पी.यू.) के कार्यकलापों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे।

जाखड़ वर्ष 1980 से कई वर्षों तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे। वह एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें वर्ष 1984 में तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारिणी समिति का सभापति चुना गया था। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने राष्ट्रमंडल कार्यकारिणी समिति की कई बैठकों की अध्यक्षता की और उनमें भाग लिया। वह वर्ष 1983 में आई.पी.यू. की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी चुने गए थे।

लोक सभा अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद, वर्ष 1990 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (आई.) का महासचिव, नियुक्त किया गया। वर्ष 1991 के आम चुनावों में बलराम जाखड़ सीकर निर्वाचन क्षेत्र से दसवीं लोक सभा के लिए एक बार फिर निर्वाचित हुए और नई सरकार में कृषि मंत्री बने।

वर्ष 1991-96 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री के रूप में जाखड़ की मुख्य चिंता भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करना था। उन्होंने किसानों के हितों को संसद तथा सरकार के समक्ष सफलतापूर्वक रखा तथा उनकी रक्षा की। उन्होंने सरकार जिसका वह भी एक हिस्सा थे, द्वारा आरंभ की गई अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते किसानों को दी जाने वाली राजसहायता में कटौती करने के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार के दबावों का कड़ा विरोध किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश के किसानों की कीमत पर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। कृषि मंत्री के रूप में अन्य देशों में भेजे गए अनेक मंत्रालयों के शिष्टमण्डलों का नेतृत्व करने के अलावा उन्होंने मात्स्यिकी तथा कृषि से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह वर्ष 1991 से 1996 तक योजना आयोग के सदस्य भी रहे।

जाखड़ ने 1996 में ग्यारहवीं लोक सभा का चुनाव नहीं लड़ा। तथापि, वह कांग्रेस पार्टी के मामलों तथा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे। ग्यारहवीं लोक सभा का कार्यकाल छोटा होने के कारण जाखड़ को शीघ्र ही फरवरी, 1998 में राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से एक और चुनाव लड़ने का अवसर मिला और 26 अप्रैल, 1999 को बारहवीं लोक सभा के विघटन तक वह संसद के सदस्य रहे। इस अवधि के दौरान जाखड़ विशेषाधिकार समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति तथा कृषि मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सभापति रहे। वह विभागों से संबद्ध पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के सभापति भी रहे।

बलराम जाखड़ को 30 जून, 2004 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह 29 जून, 2009 तक इस पद पर रहे। वह 2 से 23 जुलाई, 2004 तक गुजरात के राज्यपाल (कार्यकारी) भी रहे।

डॉ. बलराम जाखड़ भारत कृषक समाज के अध्यक्ष तथा जलियांवाला बाग स्मारक न्यास की प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी रहे। वह अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संगठनों से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे और वह दिल्ली में हुए तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के सभापति भी थे। एक बहुविध लेखक के रूप में श्री जाखड़ ने तीन पुस्तकें लिखी थीं–समकालीन भारतीय राजनीति पर ''पीपुल, पार्लियामेंट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन'' नामक प्रामाणिक पुस्तक; ''न्यू होराइजन्स इन एग्रीकल्चर

इन इंडिया'' और ''उद्‌गार'' जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उनके द्वारा दिए गए भाषणों का संग्रह है। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कृषि, खेलकूद तथा साहित्यिक क्रियाकलापों में अनवरत रुचि रखते हुए तथा आवश्यक सार्वजनिक कार्यों में संलग्न रहते हुए श्री जाखड़ ने अत्यन्त व्यस्त और घटनापूर्ण जीवन व्यतीत किया।

श्री जाखड़ का 92 वर्ष की आयु में 3 फरवरी, 2016 को निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अनेक विशिष्टजनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने शोक सन्देश में कहा:

डॉ. जाखड़ एक अनुभवी सांसद थे.... वह एक कुशल प्रशासक भी थे जिन्होंने विभिन्न पदों पर रह कर देश की सेवा की। लोक सभा अध्यक्ष, डॉ. जाखड़ ने संसदीय संग्रहालय की स्थापना और संसदीय अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और स्वचालन प्रणाली की शुरुआत की। सार्वजनिक जीवन में उनके अमूल्य योगदान और उत्कृष्ट कार्य के लिए देशवासी उन्हें सदैव याद रखेंगे।

उपराष्ट्रपति, श्री एम. हामिद अंसारी ने श्री जाखड़ के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा:

लोकप्रिय नेता और किसानों के प्रबल समर्थक, श्री जाखड़ ने लोक सभा अध्यक्ष के रूप में भारत में संसदीय प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण में योगदान किया।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री बलराम जाखड़ के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा:

बलराम जाखड़ जी एक लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा में हमारे संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ किया।

श्री बलराम जाखड़ के निधन पर संसद की दोनों सभाओं में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।

राज्य सभा में सभापति, श्री एम. हामिद अंसारी ने कहा:

...डॉ. जाखड़ ने आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और नए तौर-तरीकों के उपयोग से कृषि, बागवानी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में गहरी रुचि ली। वह भारत कृषक समाज और अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी विपणन संघ के साथ-साथ पंजाब के किसान मंच के अध्यक्ष भी रहे।

लोक सभा में अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा:

...लोक सभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूर्ण योग्यता और उत्कृष्टता के साथ सभा की कार्यवाहियों का संचालन किया। उनके संसदीय कौशल तथा संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के व्यापक ज्ञान के कारण उन्हें सभा के सभी वर्गों से सम्मान प्राप्त हुआ।